फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आगार, चित्तौड़गढ़

बनाम

आनन्द पटवा पुत्र श्री जीवन लाल पटवा निवासी गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 154/2023 (विविध)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष आज भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रुक–रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। उभय पक्ष प्रकरण में दिनांक 24.05.2024 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। पूर्व पेशी दिनांक 20.06.2024 पर उभय पक्ष के अनुपस्थित रहने पर उभय पक्ष को न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी उभय पक्ष आज भी अनुपस्थित हैं। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रुक–रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	